संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष, ब्लॉक एक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक एफ : 01–42/2021/विज्ञप्त/ 1757 रायपुर, दिनांक : 18/10 /2021

"वर्ष 2021 में सी.पी.एस. (कॉलेज ऑफ फिजीशियन एवं सर्जन) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को अनुबंध अनुसार दो वर्ष की शासकीय सेवा का अवसर हेतु कांउसलिंग की सूचना"

––000––

विषयांतर्गत वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के सी.पी.एस. कोर्स, छत्तीसगढ़ रायपुर से सी.पी.एस. (कॉलेज ऑफ फिजीशियन एवं सर्जन) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अनुबंधित छात्र–छात्राओं को उनके द्वारा किये गये अनुबंध अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पदस्थापना के लिए छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से **दिनांक 25.10.2021 को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक 27.10.2021 तक शाम 05:00 बजे** तक Online Counciling आयोजित की गई है। इस काउंसलिंग में वर्ष 2021 में सी.पी.एस. कोर्स, छत्तीसगढ़ रायपुर से सी.पी.एस. (कॉलेज ऑफ फिजीशियन एवं सर्जन) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अनुबंधित छात्र–छात्रायें अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी Online Counciling में भाग नहीं लेता है तो उक्त अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार पदस्थापना स्थल आबंटित किया जावेगा।

उक्त आयोजित कांउसलिंग में भाग लेने वाले छात्र–छात्राओं के नाम की सूची एवं कांउसलिग संबंधित विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in से डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवाये,
छत्तीसगढ़

ऑनलाईन आवेदन करने के लिए दिशा–निर्देश

- सी.पी.एस. (कॉलेज ऑफ फिजीशियन एवं सर्जन) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अनुबंधित अभ्यर्थी **https://web.cgstate.gov.in/DHS** अथवा **http://cghealth.nic.in/dhs/** पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

- अभ्यर्थी पाठ्यक्रम एवं प्राप्तांक की जानकारी दर्ज कर अपनी प्रोफाइल का निर्माण/रजिस्ट्रेशन करें।

- अभ्यर्थी व्यक्तिगत पाठ्यक्रम एवं सभी वर्षों के कुल प्राप्तांक/पूर्णांक की जानकारी दर्ज करने के बाद, वेब पोर्टल के द्वारा फीस का भुगतान कर सकते है, इसके पश्चात् ही अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापना के लिए रिक्त पदों हेतु अपनी प्राथमिकता दर्ज की जा सकती है।

- अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता दर्ज करने के दौरान अगर अभ्यर्थी कुछ सेंटर का चयन नहीं करता, इस स्थिति में सिस्टम द्वारा छूटे हुए सेंटर स्वतः दर्ज कर लिए जायेंगे।

- एक बार प्राथमिकता दर्ज कर देने के बाद, उसमे बदलाव का कोई भी विकल्प नहीं दिया गया है।

- रिक्त पदों की उपलब्धता तथा अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता क्रम (Preference) के आधार पर पदस्थापना किया जायेगा

- चूंकि अभ्यार्थी द्वारा पंजीयन प्रपत्र में दी गयी जानकारियों के आधार पर आबंटन पत्र (Allotment Letter) जारी किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी पंजीयन के दौरान जानकारियां भरते समय सम्पूर्ण सावधानी बरते। यदि कार्यालय द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में मेरिट/पात्रता या अन्य प्रवेश संबंधी त्रुटि अथवा भिन्नता परिलक्षित होती है, तो इसे संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ की जानकारी में आवश्यक आबंटित पदस्थापना स्थल निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

← मास्क पहनें, 2-गज की दूरी अपनाएं, साबुन से हाथ धोएं →